

**झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।**

:: संकल्प ::

चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री सुधीर कुमार दास, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-741/03, गृह जिला-देवघर), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर अनुमंडल, मेदिनीनगर के विरुद्ध उषा मार्टिन, प्रा0लि0, कटौतिया, कोल ब्लॉक परियोजना के लिए जमीन खरीदगी प्रक्रिया में व्यापक हेराफेरी कर सरकारी राजस्व का नुकसान पहुँचाने संबंधी आरोप, जैसा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-5171/रा0, दिनांक-16.11.2015 के माध्यम से उपायुक्त, पलामू का पत्रांक-855/स्था0, दिनांक-30.10.2015 द्वारा गठित संलग्न प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री दास के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री दास को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री दास द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. श्री दास के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्ता, पलामू को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री सुधीर कुमार दास, झा0प्र0से0 एवं श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(अशोक कुमार खेतान)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/आरोप-1-82/2015 का०-/राँची, दिनांक जनवरी, 2019
प्रतिलिपि- अनुलग्नकों सहित श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0,
विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा,
राँची/श्री सुधीर कुमार दास, झा0प्र0से0, अनुमंडल पदाधिकारी, महुआटांड, लातेहार को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी,
झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची से अनुरोध है कि कार्यवाही
तुरन्त आरंभ कर अपना प्रतिवेदन 105 दिनों के अन्दर मूल कार्यवाही अभिलेख सॉफ्ट कॉपी के
साथ आदेश फलक की दो अतिरिक्त प्रतियाँ संलग्न कर इस विभाग को समर्पित करने की
कृपा की जाय।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/आरोप-1-82/2015 का०-¹³²...../राँची, दिनांक⁷..... जनवरी, 2019
प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा
राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, झारखण्ड
के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय अपर मुख्य सचिव
कोषांग/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त,
पलामू/उपायुक्त, लातेहार/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, वित्त (वै0दा0नि0
कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/अपर समाहर्ता, पलामू/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी
प्रशाखा-3 एवं 4/विभागीय अवर सचिव, प्रशाखा-6 (चारित्री कोषांग)/प्रशाखा पदाधिकारी,
प्रशाखा-5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त, लातेहार से अनुरोध है कि इस संकल्प का तामिला श्री सुधीर कुमार
दास, अनुमंडल पदाधिकारी, महुआटांड, लातेहार को कराकर तामिला प्रतिवेदन विभाग को
उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव।